ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के उपाय

-डॉ. के. के. त्रिपाठी

कृषि और ग्रामीण विकास में आय, रोज़गार और उद्यमिता में वृद्धि के माध्यम से न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की व्यापक क्षमता है। बजट 2024-25 में उचित रूप से उत्पादक और अनुकूलनशील कृषि का आह्वान किया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास में संसाधन आवंटन में वृद्धि से रोज़गार सृजन, आय तथा धन संपदा का सृजन और ग्रामीण भारत में समग्र उपभोग मांग में वृद्धि के साथ ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणाओं से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति पर प्रकाश डाला गया है और विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई है और बड़े पैमाने पर कोविड-पूर्व विकास के रूझान के बराबर पहुँच गई है। आने वाले वर्षों में 7% से अधिक की बढ़ी हुई आर्थिक वृद्धि का संकेत देते हुए, सर्वेक्षण ने क्षेत्रीय असमानता को दूर करने और देश में रोज़गार सृजन के लिए नीतिगत फेरबदल के महत्व को रेखांकित किया है। इसने प्राथमिक उपज में मूल्य संवर्धन को सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उद्यमिता प्रणाली में सुधार के अलावा अर्थव्यवस्था के गैर-कृषि क्षेत्रों में लगभग 78.50 लाख रोज़गारों के सृजन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

सर्वे में कम उत्पादकता के स्तर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, खंडित भूमि जोत और मार्केटिंग हेतु अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना पर भी चिंता व्यक्त की गई है, जो कृषि कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं और देश की मानसून निर्भर कृषि अर्थव्यवस्था पर दबाव के स्तर को बढ़ा सकते हैं। जबकि सर्वे में उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट और बेहतर विस्तार सेवाओं तक बेहतर पहुँच का समर्थन किया गया है और फसल, पशुधन, पशुपालन और मत्स्य पालन में निवेश और उत्पादकता बढ़ाने, बिजली और उर्वरक सब्सिडी को उचित तरह से लक्षित करके तथा कृषि उपज और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, नागरिकों की बजट-पूर्व उम्मीदें आय, धन-संपदा, रोज़गार और बुनियादी अवसंरचना

लेखक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं। ई-मेल: tripathi123@rediffmail.com

तालिका-1: बजट 2024-25 में व्यय की प्रमुख मदों में रुझान

व्यय की मदें	व्यय/आवंटन (करोड़ रुपये में)					2024-25 में आवंटन में वृद्धि (%)			
	2016-17	2022-23	2023-24		2024-25	वास्तविक		संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
	वास्तविक		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	2016-17	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	50,184	1,25,875	1,44,214	1,40,533	1,51,851	202.58	20.63	8.05	5.29
शिक्षा	72,016	98,567	1,16,417	1,08,878	1,25,638	74.45	27.46	15.39	7.92
स्वास्थ्य	39,005	73.551	88,956	79,221	89,287	128.91	21.39	12.70	0.36
ग्रामीण विकास	113,877	2,38,396	2,38,204	2,38,984	2,65,808	133.41	11.49	11.22	11.58
समाज कल्याण	31,812	40,470	55,080	46,741	56,501	77.60	39.61	20.88	2.57

स्रोतः केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विवरणों, केंद्रीय बजट 2018-19 और 2024-25 में दर्शाए गए आंकड़ों से संकलित

में सुधार से लेकर समग्र रूप से सक्षम कारोबारी माहौल सुनिश्चित करने तक थीं। इस पृष्ठभूमि में यह लेख बजट 2024-25 में प्राथमिकता वाले कुछ कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित फोकस क्षेत्रों पर चर्चा करके सरकार की अंतर्निहित नीति, दिशा और सामाजिक-आर्थिक आशय को समझाने का प्रयास करता है।

ग्रामीण आजीविका और बुनियादी अवसंरचना के लिए आवंटन प्रवृत्ति

बजट में उत्पादक और अनुकूलनशील कृषि का आह्वान किया गया। इसमें महत्वपूर्ण आजीविका और ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना के कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधनों को आवंटित करके त्वरित कृषि आधारित ग्रामीण आर्थिक विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास में संसाधन आवंटन में वृद्धि का उद्देश्य रोज़गार सृजन, आय और धन-संपदा सृजन और ग्रामीण भारत में समग्र उपभोग मांग में वृद्धि के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

व्यय की प्रमुख मदों (तालिका-1) में प्रवृत्तियों की समीक्षा से पता चलता है कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन में क्रमशः 2016-17 और 2023-24 में दर्ज वास्तविक व्यय की तुलना में 202% और 20.63% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2024-25 बजट अनुमान में 2016-17 और 2022-23 में दर्ज वास्तविक व्यय की तुलना में क्रमशः 128.91% तथा 21.39% और 133.41% तथा 11.49% की वृद्धि देखी गई है। सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2024-25 में 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 20.88% की वृद्धि देखी गई है। साथ ही, यह वृद्धि शिक्षा (15.39%), स्वास्थ्य (12.70%), ग्रामीण विकास (11.22%) और कृषि और संबद्ध गतिविधियों में भी देखी गई (8.05%) है।

वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान (तालिका-2) की तुलना में सात चुनिंदा महत्वपूर्ण मंत्रालयों/विभागों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन की समीक्षा से पता चलता है कि कौशल विकास और उद्यमिता, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, कृषि अनुसंधान और शिक्षा तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को प्राथमिकता दी गई है।

कौशल विकास और उद्यमिता ने वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन में 38.65% की छलांग लगाई; पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने क्रमशः पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 27.10%, 4.91%, 3.79%, 2.53% और 0.65% की वृद्धि दर्ज की। एमएसएमई मंत्रालय के लिए बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के समान है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता निवेश, खरीददारों की बेहतर मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में समान रोजगार सृजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन रहे हैं। राष्ट्र के सामने वास्तविक चुनौती क्षेत्र स्तर के कार्यान्वयन की खामियों को पूरा करना और सभी संबंधित

विभागों/मंत्रालयों की संसाधन अवशोषण क्षमता को बढ़ाना है। वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक धनराशि आवंटित करने से बजट अनुमान और बजट 2023-24 के संशोधित अनुमान के बीच बड़ा सकारात्मक अंतर उत्पन्न हुआ। ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 2023-24 के संबंधित बजट अनुमानों की तुलना में 2024-25 संसाधन आवंटन में क्रमशः 20,021 करोड़ रुपये और 6,997 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

'स्वास्थ्य' मानव विकास के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। सरकारी पहलों का ज़ोर स्वास्थ्य सेवा में दक्षता, समानता, पहुँच, सामर्थ्य, गुणवत्ता में सुधार लाने की ओर है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है और यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना बन गई है। जुलाई 2024 तक 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और योजना के तहत अस्पताल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कुल 7.37 करोड़ भर्ती की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इस योजना को 7,300 करोड़ रुपये का बजट आवंटन मिला है जो संशोधित अनुमान 2023-24 से 7.35% अधिक है (तालिका-3)।

बजट 2024-25 में संग्रह, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति शृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने से किसानों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित होगा। सब्जियों और अन्य बागवानी उत्पादों के लिए कलस्टरों को चिह्नित और विकसित करना और उन्हें मांग केंद्रों से जोड़ना कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में नीतिगत दिशाओं को इंगित करता है, ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों पर निरंतर ज़ोर ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के लिए देश के संकल्प को निर्दिष्ट करता है।

कृषि एवं किसान कल्याण

बजट 2024-25 में किसानों के नेतृत्व में सतत कृषि विकास के सरकार के वादे पर ज़ोर दिया गया है और कृषि में उत्पादकता और लचीलापन हासिल करने के लिए निरंतर

तालिका-2 : 2016-17, 2023-24 और 2024-25 में चयनित केंद्रीय मंत्रालयों में बजट आवंटन का रुझान

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	आवंटन (करोड़ रुपये में)					24-25 में आवंटन में वृद्धि (%) Over			
		वास्तविक		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक		संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
		2016-17	2022-23	2023-24		2024-25	2016-17	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कृषि और किसान कल्याण	40,626	99,877	1,15,531	1,16,788	1,22,528	201.59	22.67	4.91	6.05
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	5,995	8,399	9,504	9,876	9,941	65.82	18.35	0.65	4.59
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन	2,376	3,610	6,576	5,615	7,137	200.37	97.70	27.10	8.53
4	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	3,650	23,541	22,138	22,138	22,138	506.52	-5.95	0.00	0.00
5	ग्रामीण विकास	1,56,287	1,76,837	1,57,545	1,71,069	1,77,566	13.61	0.41	3.79	12.70
6	कौशल विकास और उद्यमिता	1,553	1,371	3,517	3,260	4,520	191.40	229.68	38.65	28.51
7	महिला एवं बाल विकास	17,097	23,994	25,448	25,448	26,092	52.61	8.74	2.53	2.53

स्रोतः केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अनुदान मांगों, केंद्रीय बजट 2018-19 और 2024-25 में दर्शाए गए आंकड़ों से संकलित।

प्रयासों की परिकल्पना की गई है। इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इस क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव करने की इच्छा व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पाँच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है जिसमें 80 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं। बजट में उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है। चयनित प्रमुख योजनाओं (तालिका-3) में बजट आवंटन से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 की तुलना में बजट अनुमान वर्ष 2024-25 में 21.85% अधिक संसाधन मिले हैं। इसी प्रकार, मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) और कृषि किसानों के लिए कृषोन्नति योजना में संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में बजट अनुमान 2024-25 के संसाधन आवंटन में क्रमशः 56.80% और 16.76% की बढ़ोतरी हुई है।

जोखिम कम करने की आवश्यकता वाले हाल ही के मुद्दे इस प्रकार हैं :-किफायती कीमतों पर कृषि इनपुट की उपलब्धता, बाज़ार और अन्य लॉजिस्टिक सेवाओं तक आसान पहुँच, स्थिर बाज़ार मूल्य और कृषि में उत्पादन जोखिम और मूल्य जोखिमों को कम करने को लक्षित करके कृषि के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि सुनिश्चित करना है। कृषि में अनिश्चितताओं और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, फसल और पशुधन बीमा योजनाओं, आधुनिकीकरण और बेहतर कृषि रसद के प्रावधान, कृषि बाज़ारों के नज़दीक पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के साथ विपणन अवसरों जैसे जोखिम न्यूनीकरण साधनों में सुधार के लिए प्रभावी सरकारी पहल की आवश्यकता होगी। जबकि 50% से अधिक लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में कृषि घाटे के जोखिम को कम करने की क्षमता मौजूद है, लेकिन यदि सरकार मांग की अवधारणाओं को ध्यान में नहीं रखती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है।

बजट में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने, चयनित 400 ज़िलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करने, 32 फसलों की 109 अधिक उपज वाली किस्मों को जारी करने और जैविक खेती के दायरे और कवरेज का विस्तार करने के लिए विभिन्न सक्रिय उपायों को सूचीबद्ध किया गया है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण द्वारा समर्थित *डिजिटल भूमि रिकॉर्ड रजिस्ट्री* कृषि और ग्रामीण नियोजन, बुनियादी अवसंरचना की व्यवस्था और कृषि गतिविधियों के सावधानीपूर्वक और सचेत निष्पादन में सहायक होगी। सब्जियों और अन्य बागवानी उत्पादों के लिए क्लस्टरों को चिह्नित करना तथा विकसित करना और इस प्रकार उन्हें मांग केंद्रों के साथ जोड़ने से कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

तालिका-3: चयनित प्रमुख योजनाओं में बजटीय आवंटन							
क्र. सं.	क्षेत्र/योजनाएं	आवंटन (करोड़ रु. में)				आवंटन में वृद्धि (%) 2024-25 में	
		2022-23	2023-24		2024-25		
		वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान 2023-24	बजट अनुमान 2024-25
1	2	4	5	6	7	9	10
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम मनरेगा	90,806	60,000	86,000	86,000	0.00	43.33
2	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	9,651	9,636	9,652	9,652	0.00	0.16
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	5,637	8,587	7,031	9,339	32.82	8.75
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	18,783	19,000	17,000	19,000	11.76	0.00
5	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण	44,962	54,487	32,000	54,500	70.31	0.02
6	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका	11,536	14,129	14,129	15,047	6.49	6.49
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5,247	7,150	6,150	7,553	21.85	5.63
8	कृषोन्नति योजना	4,716	7,066	6,378	7,447	16.76	5.39
9	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	1,168	2,000	1,500	2,352	56.80	17.60
10	आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)	6,186	7,200	6,800	7,300	7.35	1.38

स्रोतः केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अनुदान मांगे, केंद्रीय बजट 2024-25, में दर्शाए गए आंकड़ों से संकलित।

सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की गई थी। यह एक एकीकृत सिंचाई पहल है, जिसमें विभिन्न घटकों को शामिल किया गया है जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम), प्रत्येक खेत को पानी (एचकेकेपी), प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) और वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)। बजट 2024-25 में पीएमकेएसवाई के लिए 9,339 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान से 32.82% अधिक है (तालिका-3)। भारत में 54% कृषि भूमि असिंचित है। पीएमकेएसवाई पहल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई बुनियादी अवसंरचना के योजनाबद्ध और एकीकृत विकास की ज़रूरत है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार अवसरों की अनुपलब्धता तथा रोज़गार के अवसरों के सृजन के लिए आवश्यक निवेश की कमी के कारण कार्य सहभागिता दर कम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में ज़मीनी स्तर पर विविध हरित रोज़गार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण परिदृश्य से मांग पक्ष की कठोरता को दूर करने की अपार क्षमता है। बजट 2024-25 में महात्मा गांधी नरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के महत्व को रेखांकित करना जारी रखा गया है- ग्रामीण परिवेश में गुणवत्तापूर्ण और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों और उद्यमों के निर्माण की दिशा में मौजूदा दो मजदूरी और स्वरोज़गार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को हमेशा ग्रामीण व्यवस्था में प्रभावी माना जाता है, जिसमें गरीबी की उच्च दर को कम करने की क्षमता होती है। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के मुकाबले मनरेगा और एनआरएलएम के आवंटन में क्रमशः 43.33% और 6.49% की वृद्धि देखी गई (तालिका-3)।

मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवंटन का लक्ष्य ग्रामीण मजदूरी रोज़गार सृजित करना और वर्ष 2024-25 के दौरान अतिरिक्त उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। मनरेगा कार्यों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि हालांकि इस योजना में बड़ी वित्तीय अवशोषण क्षमता है, फिर भी यह गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्ति निर्माण पर कम ध्यान देने, दोषपूर्ण कार्ययोजना और डिज़ाइन, परियोजनाओं और कार्यस्थलों के अनुचित चयन, कार्यों के सर्वेक्षण की कमी, गलत कार्य डिज़ाइन अनुमान, अकुशल कार्य निष्पादन और अपर्याप्त तकनीकी पर्यवेक्षण के कारण समुदाय के लिए

गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियां उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। इन बाधाओं के बावजूद, मनरेगा के अंतर्गत सार्वजनिक कार्यों के लिए बढ़ाया गया आवंटन ग्रामीण भारत में ग्रामीण आय और रोज़गार सृजन जन कार्यों के लिए सार्वजनिक निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समय की मांग है कि गुणवत्तापूर्ण विशेषज्ञों का एक कैडर तैयार किया जाए जो मनरेगा के तहत सामुदायिक स्तर पर परिणाम-आधारित सार्वजनिक कार्यों की योजना और निगरानी का हिस्सा बन सकें।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) दो महत्वपूर्ण स्वरोज़गार योजना पहलें हैं। डीएवाई-एनआरएलएम का लक्ष्य सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं तक पहुँचना है, जिनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य वित्तीय सहायता रिवॉल्विंग फंड (RF)* और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) है, जो स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों को उनकी आजीविका गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान की जाती है। डीएवाई-एनआरएलएम के ग्राम उद्यमिता विकास दृष्टिकोण का उद्देश्य एक उत्प्रेरक स्थानीय उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं को उनके स्वयं के बल पर स्थानीय उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, 2024-25 के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्थापित किए जाने वाले ग्रामीण उद्यम न केवल हमारे 5.5 लाख गाँवों के वास्तविक विकास इंजन साबित होंगे, बल्कि (क) एसएचजी के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने (ख) बेसलाइन पर घरेलू आय बढ़ाने और (ग) लाखों ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सुनिश्चित करने में भी मदद करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में एनआरएलएम को एक सफल और स्थायी पहल बनाने के लिए राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तर पर अभिसरण समितियों का गठन करके आर्थिक गतिविधियों का उचित विविधीकरण और अन्य विभागों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रमों के साथ अभिसरण की आवश्यकता हो सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ग्रामीण और शहरी आवास के लिए परिव्यय, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियों के माध्यम से, रोज़गार सृजन बढ़ाने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। 54,500 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ पीएमएवाई-ग्रामीण में 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2024-25 के बजट अनुमान में 70.31% की वृद्धि देखी गई है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों को निर्माण प्रक्रिया अर्थात् मकान की जगह का चयन करना, निर्माण सामग्री की खरीद के लिए स्वयं व्यवस्था करना, कुशल कामगारों को शामिल करना और पारिवारिक श्रम में योगदान देने के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है। लाभार्थियों को घर के निर्माण के तरीके और निर्मित परिसंपत्तियों के स्थायित्व से समझौता किए बिना लागत प्रभावी स्थानीय तकनीक के उपयोग के बारे में भी स्वयं निर्णय लेना चाहिए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)- ग्रामीण संपर्क के लिए अक्सर चर्चित सफल पहलों में से एक इस योजना में विभिन्न स्तरों पर त्रि-स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली है जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निर्मित सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने में प्रणालीगत कमियों का पता लगाती है और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करती है। इस योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 2,000 करोड़ रुपये अधिक है। 25,000 पात्र ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई के चरण IV को शुरू करने का प्रस्ताव है। समय की मांग है कि व्यवस्थित ज़िला ग्रामीण सड़क योजनाएं सुनिश्चित की जाएं और इस योजना के तहत नई सड़कों के निर्माण की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के उद्देश्य से ज़िलों में सभी सड़कों के पूरे नेटवर्क को सूचीबद्ध किया जाए। ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव में गुणवत्ता

*Revolving Fund - रिवॉल्विंग फंड एक ऐसा फंड या खाता होता है जो किसी वित्तीय वर्ष की सीमा के बिना किसी संगठन के निरंतर संचालन को वित्तपोषित करने के लिए उपलब्ध रहता है।

सुनिश्चित करने के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का पालन करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

ग्रामीण अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों पर निरंतर ज़ोर ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के प्रति देश के संकल्प को दर्शाता है। बजट 2024-25 में कृषि और ग्रामीण विकास के महत्व को उचित रूप से रेखांकित किया गया है और तदानुसार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि और गैर-कृषि रोज़गार गतिविधियों में निवेश का सुझाव दिया है। प्रमुख उपभोग केंद्रों के निकट सब्ज़ी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित करने का विज़न उल्लेखनीय है। संग्रह, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति शृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने से किसानों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित होगा। किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** (DPI) का कार्यान्वयन और 400 जिलों में इसका उपयोग करके खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण कृषि तकनीकी इंटरफेस को और मज़बूत करेगा। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के लिए बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन और श्रिम्प ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों के नेटवर्क के लिए विशेष प्रावधान के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा श्रिम्प वित्तपोषण, प्रसंस्करण और निर्यात में सुनिश्चित समर्थन से मछली पालन को एक लाभदायक और स्वीकार्य उद्यम बनाने में मदद मिलेगी।

बड़े बजट वाले कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त उद्यमिता, प्रशिक्षण और कौशल-संचालित स्वरोज़गार उद्यमों की ओर उन्मुखीकरण की गारंटी की आवश्यकता है। कृषि और ग्रामीण विकास में आय, रोज़गार और उद्यमिता में वृद्धि के माध्यम से एक समान और सर्व समावेशी विकास सुनिश्चित करने की अत्यधिक क्षमता है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के विशाल हिस्से को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विनिर्माण क्रांति, रोज़गार सृजन, गरीबी में कमी और कौशल उन्नयन के लिए सक्षम माहौल को फिर से उन्मुख और सुगम बनाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वास्तविक चुनौती कृषि और ग्रामीण गैर-कृषि गतिविधियों के लिए बजट की घोषणाओं और नीति निर्देशों को समन्वित और ठोस तरीके से व्यवहार में लाना है ताकि इन्हें लाभदायक और व्यापक रूप से स्वीकार्य बनाया जा सके।

संशोधित राष्ट्रीय सहयोग नीति के कार्यान्वयन के बारे में बजट घोषणा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रों जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, लॉजिस्टिक, आवास, चीनी, श्रम, उपभोक्ता, विपणन, प्रसंस्करण आदि में सहकारी समितियों की ग्रामीण सांद्रता को देखते हुए, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। यदि नीति को व्यवहार में लाया जाता है, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता के मूल सिद्धांतों को पूरा करके मॉडल सहकारी गाँव बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि यह सरकार का एक नया और सराहनीय कदम है, लेकिन विकसित भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण रोज़गार, आय और धन की विकास प्रक्रियाओं को तेज़ करके कई मंत्रालयों/विभागों/सहकारी सुविधा एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ समय पर और उचित समन्वय आवश्यक है। ❑